APPENDIX-V

स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र (Medical Certificate)
नोट :- यह प्रमाण पत्र केवल दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा ।

मैं डॉक्टर .... सिविल अस्पताल ....

(नाम व पदवी)

प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/ कुमारी .... जिसका फोटो मुझ द्वारा सत्यापित (Attested) करके यहाँ चिपकाया गया है का निरिक्षण भली प्रकार साबधानी से किया है और उसमें कोई ऐसी शारीरिक कमी नहीं है जो कि हिमाचल प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने हेतू किसी प्रकार बाध्य हो मैं इससे आगे सूचित करता हूँ कि :-

1. उसकी ऊंचाई ....मीटर है।
2. उसका भार .... किलोग्राम है।
3. उसकी छाती का माप (फैलाकर) ....(बिना फैलाकर) .... सेंटीमीटर है।
4. उसकी आंखें .... प्रतीत होती हैं।
5. यह ऐनक लगता है/ लगती है .... नहीं लगता है/ लगाती है।

दाईं आँख .... निकट दृष्टी ....दूर दृष्टी ....

बाईं आँख .... निकट दृष्टी ....दूर दृष्टी ....

6. उसकी दृष्टि निर्धारित स्तर के अनुसार हैं।
7. उसका हृदय तथा छाती दृढ है।
8. उसका रक्त ग्रुप .... है।
9. उसको ऐसी बीमारी या शारीरिक, दिमागी अस्थिरता नहीं है कि उसकी इस समय या निकट भविष्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों अथवा फिल्ड ड्यूटी के अयोग्य बनाने की सम्भावना रखती हो न ही संसर्ग अथवा संक्रमण रोग से पीड़ित है ।

पहचान के निशान .... अत: प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश योग्य है ।

प्रशिक्षणार्थी के अंगूठे का निशान ....

प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर ....

प्रत्याशी का पासपोर्ट माप का फोटो

दिनांक ....

स्थान ....

स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर,
पदवी तथा अस्पताल की मोहर

यह फोटो प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सत्यापित (attested) होना चाहिए ।

नोट :- 1. यह प्रमाण पत्र उस स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, जो कि दूसरी श्रेणी राजपत्रित स्तर से कम का न हो ।

2. स्वास्थ्य अधिकारी को अपने हस्ताक्षर एवं मोहर फोटो के ऊपर लगनी चाहिए ।

3. यह प्रमाण पत्र संस्थान में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा ।

4. Mentally Retarded प्रत्याशियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जायेगा ।

5. योग्यता क्रम में आने वाले ऐसे प्रत्याशी जिनके कि केवल एक आँख में ही ठीक एवं प्रयाप्त दृष्टी हो, को केवल उन्ही व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतू प्रवेश बारे विचार किया जायेगा, जिनमें केवल एक आँख की दृष्टी प्रशिक्षण प्राप्त करने की लिए पर्याप्त हो तथा प्रशिक्षण उपरांत रोजगार प्राप्त करने में बाधक न हो, ऐसे प्रत्याशियों को योग्यता अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय की डी.जी.ई.एंड टी.द्वारा इस विवरणिका में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखना अनिवार्य होगा। संसर्ग अन्य अथवा संक्रमण रोगों से पीडित प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

6. नि:शक्त प्रशिक्षणार्थियों को निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 5-7/88,वैल.ए., दिनांक 23/3/1989 में निर्धारित निर्देशानुसार, जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जायेगा ।